2012:CGHC:9692-D.B.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंड न्यायपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक : 3160/1999

अपीलार्थी जीवन, आत्मज छोटेलाल सतनामी, आयु 45 वर्ष, व्यवसाय- चिकित्सा व्यवसायी (डॉक्टर), निवासी- ग्राम चेलहाटी, थाना- सरकंडा, जिला- बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक : 3376/1999

अपीलार्थी साहेबदास उर्फ अश्वनी कुमार, आत्मज सुदर्शन सतनामी, आयु 42 वर्ष, निवासी- चकपेण्ड्रा, थाना- नंदघाट, जिला- दुर्ग मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दांडिक अपील क्रमांक : 13T/2000

अपीलार्थी छोटे कुमार, आत्मज झाडूराम, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी- ग्राम पिछाटी, थाना- सरकंडा, तहसील व जिला- बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दांडिक अपील क्रमांक. 37 T/ 2000

<u>अपीलार्थी</u> व्यास नारायण उर्फ आनंद, आत्मज रामफल सतनामी, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम लोकबंद, थाना कोटा, जिला बिलासपुर, म.प्र. (वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

<u>दांडिक अपील क्रमांक. 73/ 2006</u>

<u>अपीलार्थी</u> गणेश प्रसाद, आत्मज मनीराम, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम गतौरा, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना लालपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपीलें</u>

उपस्थिति: श्री आर.एस. मरहास, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण - जीवन एवं छोटे कुमार की ओर से।

श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता, अपीलार्थी - व्यास नारायण उर्फ आनंद की ओर से।

श्री जयशंकर पाण्डेय, अधिवक्ता, अपीलार्थी - साहेबदास उर्फ अश्वनी कुमार की ओर से।

श्री योगेश्वर शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी - गणेश की ओर से।

श्री यू.एन.एस. देव , शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

(22.02.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा प्रदत्त:

(1) दांडिक अपील क्रमांक. 3160/99, 3376/99, 13/2000 एवं 37/2000, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक. 389/1997 में पारित निर्णय दिनांक 4 नवंबर, 1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, तथा दांडिक अपील क्रमांक. 73/2006, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक. 389/97 (एक फरार आरोपी के पश्चातवर्ती विचारण पर) में पारित निर्णय दिनांक 28 दिसंबर, 2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) आक्षेपित निर्णयों के द्वारा, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 एवं 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदंड; एवं 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। अपीलार्थी — साहेबदास को आगे आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

(3) मामले के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:—

(i) 13 आरोपियों (ए-1 से ए-13) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 395 एवं 397 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया था। गणेश (ए-12) फरार था। अतः, प्रथम दृष्टया विचारण केवल 12 आरोपियों (ए-1 से ए-11 एवं ए-13) का किया गया और दिनांक 4 नवंबर, 1999 को निर्णय सुनाया गया। बाद में गणेश (ए-12) का विचारण किया गया जिसके पश्चात द्वितीय निर्णय दिनांक 28 दिसंबर, 2005 को सुनाया गया।

(ii) अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 15 और 16 मई, 1997 की दरमियानी रात में, **अपीलार्थीगण** ने अपने सहयोगियों के साथ वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) के घर में डकैती कारित की और नगद राशि तथा सोने एवं चांदी के गहनों के साथ साथ विभिन्न वस्तुएं लूट लीं, जिनका मूल्य 2 लाख रुपये था। डकैती करती करते समय, अपीलार्थीगण ने वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र -8) को घोर उपहति कारित की। आरोप यह है कि उक्त समय पर अपीलार्थीगण अवैध आयुध रखें हुए थे। घटना वाली रात को वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) अपने घर के आँगन में सो रहे थे। धनबाई (अ.सा.क्र-9), जो वल्लभ सिंह की पत्नी हैं, वे भी वल्लभ सिंह के समीप सो रही थीं। लगभग रात्रि 12:00 बजे वल्लभ सिंह की नींद खुली और उन्होंने देखा कि काले पेंट, काली शर्ट और लुंगी आदि धारण किए हुए 6 व्यक्ति उनके घर के आँगन में उपस्थित थे। उन्होंने वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) के हाथ पकड़ लिए और डंडे से उनकी पिटाई करना प्रारंभ कर दिया।जब वल्लभ ने प्रतिरोध किया, तो उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8), उनकी पत्नी धनबाई (अ.सा.क्र-9) एवं परिवार के अन्य सभी सदस्यों को डकैतों द्वारा कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। डकैतों ने धनबाई (अ.सा.क्र -9) से सोने और चांदी के आभूषण छीन लिए। वल्लभ सिंह के पास एक अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर थी| जिसे भी डकैतों द्वारा लूट लिया गया। डकैतों ने घर के विभिन्न कमरों की चाबियाँ ले लीं और सोने-चांदी की वस्तुओं की तलाशी ली।डकैती कारित करने के उपरांत जब डकैत, वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) के घर से फरार

हो गए, तो वे किसी प्रकार कमरे से बाहर निकले और एक ट्रैक्टर की सहायता से मुंगेली पहुँचे, जहाँ डॉ. एन.एस. चंदेल (अ.सा.क्र -25) द्वारा उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जहाँ उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं गई :-

(i)कटा हुआ घाव बाएं पैरिएटल क्षेत्र पर 4सेमी x 2सेमी x हड्डी की गहराई तक;

(ii)फटा हुआ घाव दाएं पैरिएटल क्षेत्र पर 3सेमी x 1सेमी x 1सेमी;

(iii)फटा हुआ घाव पैरिएटल क्षेत्र पर 8सेमी x 1सेमी x 1/2सेमी;

(iv)फटा हुआ घाव दाईं अग्रबाहु पर 3 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी सेमी; एवं

(v)नील बाएँ अग्रबाहु पर नीलांगू |

चिकित्सक ने यह राय दिया कि समस्त चोटें 6 घंटे के भीतर कारित की गई थीं। बाईं अग्रबाहु की चोट के लिए एक्स-रे परीक्षण का परामर्श दिया गया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी/22 है। एक्स-रे परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि बाईं अग्रबाहु में अस्थिभंग था। एक्स-रे प्रतिवेदन प्रदर्श पी/48 एवं पी/49 हैं। तदुपरांत, वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) ने पुलिस थाना लालपुर में मामले की सूचना दी ,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 397 के अंतर्गत पंजीबद्ध की गयी । वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र -8) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया कि वह डकैतों की पहचान कर लेगा। विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में, उसने उल्लेख किया कि वह अपने घर में सत्यापन के बाद विशिष्ट वस्तुओं की सूची प्रस्तुत कर सकता है। बाद में वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र -8) द्वारा विशिष्ट वस्तुओं की एक सूची (प्रदर्श-पी/11) प्रस्तुत की गई, जिसमें विभिन्न सोने और चांदी के आभूषण, अमेरिकन रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, एक 12 बोर की बंदूक, चांदी के सिक्के और 4,500/- रुपये नकद शामिल थे। रिवॉल्वर आदि की अनुज्ञप्ति वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) से जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-पी/12 के माध्यम से जब्त की गयी थी ।

(iii) विवेचना के दौरान अभियुक्त - रामाधार (अ-6) को 24.6.97 को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/30) अभिलिखित किया गया और उसकी निशानदेही पर उसी दिन आरोपी- मुस्तफा (ए-7) के कब्जे से जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-पी/34 के माध्यम से सोने की विभिन्न वस्तुएं जब्त की गईं। 24.6.97 को आरोपी- छोटे कुमार (ए-2) को भी अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/31) अभिलिखित किया गया और उसकी निशानदेहि पर अभियुक्त- जीवन (ए-3) के कब्जे से जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-पी/35 के माध्यम से एक पॉकेट ट्रांजिस्टर जब्त किया गया। अभियुक्त - साहेबदास (ए-1)को भी 24.6.97 को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-P/32) अभिलिखित किया गया और उसके कब्जे से जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-पी/37 के माध्यम से विभिन्न वस्तुएं (अपराध में

प्रयुक्त हथियार) जब्त की गईं।अभियुक्त - कुंजराम (ए-5) को 25.6.97 को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/33) अभिलिखित किया गया और उसके कब्जे से जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-पी/38 के माध्यम से एक देशी कट्टा और 12 बोर का एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया। अभियुक्त - व्यास नारायण (ए-10) को 31.7.97 को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/24) दर्ज किया गया और उसके कब्जे से जब्ती ज्ञापन प्रदर्श-पी/25 के माध्यम से 5 जिंदा कारतूसों से भरी हुई 32 बोर की अमेरिकन रिवॉल्वर और ब्लैक-बेल्ट के साथ कई अन्य कारतूस जब्त किए गए। अभियुक्त- धरमदास (ए-11) को 1.8.97 को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/43) अभिलिखित किया गया और फुल-पेंट और 12 बोर के 2 जिंदा कारतूस उसके कब्जे से जप्त किए गए, जिसका जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी/44 है। दिनांक 24.6.97 और 25.6.97 को छोटे कुमार (ए-2) के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, उसकी पंजीकरण पुस्तक, विभिन्न चांदी के सिक्के और लुंगी जप्त किए गए, जिसके जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी/39 और पी/40 हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iv) साहेबदास (ए-1), छोटे कुमार (ए-2), जीवन (ए-3) और बल्लू उर्फ धर्म सिंह (ए-4) को दिनांक 17.7.97 को शनाख्त हेतु प्रस्तुत किया गया। पहचान परेड कार्यवाही का संचालन कार्यकारी मजिस्ट्रेट एन.के. तिवारी (अ.सा.क्र-29) द्वारा किया गया था। 4 अभियुक्तों में से साहेबदास (ए-1), छोटे कुमार (ए-2) और जीवन (ए-3) की पहचान वल्लभ सिंह (अभियोजन साक्षी-8) द्वारा पहचान परेड कार्यवाही में की गई। हालांकि, वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) बल्लू उर्फ धर्म सिंह (ए-4) की पहचान नहीं कर सके। पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी/13 है। एक अन्य पहचान परेड दिनांक 3.8.97 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट आर.पी. तिवारी (अ.सा.क्र-26) द्वारा आयोजित की गई थी। वल्लभ सिंह (अ. सा.क्र-8) ने इस पहचान परेड कार्यवाही में अभियुक्त व्यास नारायण (ए-10) और धर्मदास उर्फ कल्लू (ए-11) की पहचान की। द्वितीय पहचान परेड कार्यवाही प्रदर्श पी/14 है।

(v) जप्त वस्तुए जैसे कि रेडियो ट्रांजिस्टर, चांदी के सिक्के, सोने की बाली की एक जोड़ी, सोने के टॉप्स की एक जोड़ी और एक मोतीमाला को दिनांक 10.7.97 को पहचान हेतु रखा गया और वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र -8) द्वारा उनकी विधिवत पहचान की गई। उनका पहचान मेमो प्रदर्श पी/42 है।

(vi) अभियुक्त गणेश (ए-12) को 10.5.2004 को अभिरक्षा में लिया गया, जो कि पूर्व निर्णय 4.11.99 पारित होने की लंबी अवधि के पश्चात था। विचारण के दौरान, वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र - 8), जिसे द्वितीये विचारण में अ.सा.क्र-1 के रूप में परीक्षित किया गया था, ने विचारण के दौरान उसकी पहचान की।

(vii) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह धारित किया कि यह युकियुक्ता संदेह से परे प्रमाणित है कि उपरोक्त अपीलार्थीगण और अभियुक्त कल्लू उर्फ धर्मदास ने डकैती

में भाग लिया था और उन्होंने वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) को घोर उपहति कारित की थी, इसलिए वे भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अंतर्गत दंड के भागी हैं। सत्र न्यायाधीश ने प्रथम विचारण में यह भी धारित किया कि अभियुक्त साहेबदास (ए-1) और कुंजराम (ए-5) आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत भी दंड के उत्तरदायी थे। इसलिए उन्हें उपरोक्त सजाएं सुनाई गईं। कुंजराम (ए -5) को आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया। वह पहले ही 1 वर्ष, 2 माह और 6 दिन की दंड भुगत चुका है

(vii) अधिवक्ता ने यह कथन किया था कि कुंजराम (ए-5) ने अपनी दोषसिद्धि को किसी भी अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी है।

(viii) कल्लू उर्फ़ धरमदास (ए-11) ने अपनी दोषसिद्धि को एक पृथक अपील, जो कि दांडिक अपील क्रमांक. 3391/1999 , के माध्यम से चुनौती दी थी। चूंकि उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान दिनांक 26.8.2005 को उसकी मृत्यु हो गई, अतः कल्लू उर्फ धरमदास (ए-11) की ओर से दायर उक्त अपील को आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2009 के द्वारा उपशमित मानते हुए खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थीगण— जीवन (ए-3), साहेबदास उर्फ अश्वनी कुमार (ए-1), छोटे कुमार (ए-2) और व्यास नारायण उर्फ आनंद (ए-10) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि इन अपीलार्थीगण की पहचान से संबंधित निष्कर्ष विपरीत हैं; हमलावरों को पहचानने के लिए पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध नहीं थे; वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) हमलावरों को पहचानने की स्थिति में नहीं था; दोनों पहचान परेड कार्यवाही मात्र औपचारिकताएं थीं; इसलिए, न्यायालय में वल्लभ सिंह द्वारा की गई कठघरे में पहचान की पुष्टि के लिए इन्हें विचार में नहीं लिया जा सकता।

(5) वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) पहचान का साक्षी है। उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उस घटना वाली रात को, लगभग 12:00 बजे, जब वह जागा, तो उसने देखा कि 6 हमलावर उसकी खटिया के पास आए। जब उसने अपनी रिवॉल्वर , जो तकिए के नीचे रखी थी, निकालने की कोशिश की, तो 2 हमलावरों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे 5-7 कदम की दूरी तक ले गए। उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों में से एक ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। हमलावर डंडों से प्रहार कर रहे थे। एक हमलावर ने उसे घर का दरवाजा खोलने को कहा। वास्तव में, उसने चाबियां लीं और घर का ताला खोला। इसी बीच, घर की पहली मंजिल पर सो रहे बच्चे नीचे आ गए। हमलावर घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में ले गए जो बरामदे से सटा हुआ था। उनके द्वारा कमरे की खिड़कियां खोल दी गई थीं। वहां हमलावरों ने 1 लाख रुपये की मांग की। जब उसने मना किया, तो हमलावरों ने अलमारी की चाबियां मांगी। उसने चाबियों की जगह बताई। हमलावरों ने चाबियां निकालीं और अलमारियां खोल दीं। घर के सभी सदस्यों को कमरे में बिठा दिया गया। दो हमलावर कमरे के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। एक के हाथ में **टंगली** थी और दूसरे के हाथ में तलवार जैसा चाकू लिया था । दो हमलावर **डंडा** लिए हुए थे। वे आंगन के द्वार के पास खड़े थे। अन्य दो हमलावर अलमारियों से सामान निकाल रहे थे। उन्हें कमरे में बिठाए रखने के बाद, उनकी पत्नी द्वारा पहने गए सोने के टॉप्स और चांदी की चेन हमलावरों द्वारा छीन लिए गए। उसने विभिन्न

वस्तुओं का विवरण दिया है। डकैती की घटना कारित करने के बाद जब हमलावर उनके घर से निकले, तो वह कमरा जिसमें घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाया गया था, हमलावरों द्वारा बाहर से बंद कर दिया गया और चाबियां खिड़की के माध्यम से कमरे के अंदर फेंक दी गईं। हमलावरों ने उन्हें आधे घंटे बाद ताला खोलने का निर्देश दिया था।उनके साक्ष्य के पैरा-8 के अनुसार, उन्होंने कटघरा में **साहेबदास (ए-1)**, **व्यास नारायण (ए-10)**, **कल्लू @ धर्मदास (ए-11)**, **जीवनलाल (ए-3)**, **सुरेश (ए-13)** और **छोटे कुमार (ए-2)** की पहचान की और स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि ये व्यक्ति उनके घर में घुसे थे और डकैती करने में शामिल थे। उन्होंने दो अलग-अलग तारीखों पर कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा आयोजित दो **पहचान परेड कार्यवाही** के में भी यह अभिसाक्ष्य किया।

(6) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया था कि चूंकि वह एक अंधेरी रात थी, इसलिए पहचान संभव नहीं थी। वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) से इस बिंदु पर प्रतिपरीक्षण किया गया है। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-25 में, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि वह एक अंधेरी रात थी। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह हमलावरों को पहचान सकते हैं क्योंकि उसने हमलावरों को **चांदनी रात** में और **टॉर्च की रोशनी** में भी देखा था, क्योंकि हमलावर अपने हाथ में ली हुई टॉर्च की रोशनी में उनके घर में चीजें तलाश रहे थे। अतः, वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र -8) ने यह दावा किया है कि उसने उन्हें चांदनी रात के प्रकाश और टॉर्च के प्रकाश में पहचाना था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि घटना के समय हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। अपने साक्ष्य के पैरा-26 और 27 में उसने हमलावरों द्वारा धारण किए गए हथियारों और उनके द्वारा पहने गए कपड़ों के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। उसने यह कहकर पहचान परेड की कार्यवाही को सिद्ध किया है कि उसने पहचान परेड में हमलावरों के ऊपर अपनी उंगली रखकर उनकी पहचान की थी। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि जब हमलावरों को गिरफ्तार किया गया था, तब वह पुलिस थाना कोनी गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि पहचान परेड कार्यवाही से पूर्व उसे हमलावरों को देखने का कोई अवसर प्राप्त हुआ था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) श्री मरहास ने यह तर्क दिया है कि चूंकि धनबाई (अ.सा.क्र-9) ने विचारण के दौरान अपीलार्थीगण की पहचान नहीं की थी, इसलिए वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) द्वारा की गई उनकी पहचान संदिग्ध हो जाती है। यदि साक्षियों में से कोई एक साक्षी अपने स्तर पर हमलावरों की पहचान नहीं कर पाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य साक्षियों द्वारा की गई पहचान का साक्ष्य संदेहास्पद हो जाएगा। वास्तव में, यह प्रत्येक साक्षी की क्षमता के साथ उन विभिन्न अवसरों पर निर्भर करता है जो उन्हें किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए मिलते हैं और वह परिस्थिति जिसमें उन्हें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। धनबाई (अ.सा.क्र-9) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमलावरों के पास टॉर्च थी और डकैती करते समय वे टॉर्च का उपयोग कर रहे थे। डकैतों की वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) के साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने उसके उपर हमला किया था और उन्होंने वल्लभ सिंह से अलमारियों की चाबियां मांगी थीं। वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) ने उन्हें वह स्थान बताया था जहाँ चाबियां रखी गई थीं। हमलावरों द्वारा वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) की उपस्थिति में टॉर्च की

रोशनी में चाबियों की तलाश की गई थी। सभी हमलावरो ने वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) और उसके परिवार के सदस्यों को एक कमरे में ले गए थे। हमलावरों ने अपने चेहरे नहीं ढके थे। अतः, वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) के पास उनके चेहरे देखने का पर्याप्त अवसर था। वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) ने अपीलार्थीगण की पहचान परेड कार्यवाही में और विचारण के दौरान भी उनकी पुनः पहचान की। विचारण के दौरान वल्लभ सिंह द्वारा उक्त अपीलार्थियों की जो कटघरे-शनाख्त की गई है, उसे अन्वेषण के दौरान आयोजित की गई दो पहचान परेड कार्यवाही से पूर्णतः संपुष्टि प्राप्त होती है। प्रथम पहचान परेड कार्यवाही के आयोजन के समय, वे अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार नहीं थे जिन्हें द्वितीय पहचान परेड में पहचान के लिए रखा गया था। वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) ने 17.7.97 को आयोजित प्रथम पहचान परेड परीक्षा में साहेबदास (अ-1), छोटे कुमार (ए-2) और जीवन (ए-3) की पहचान की थी। 3.8.97 को आयोजित द्वितीय शनाख्त परेड परीक्षा में, उसने व्यास नारायण (ए -10) और धर्मदास उर्फ कालू (ए-11) की पहचान की और उसने विचारण के दौरान कटघरे-पहचान में इन सभी व्यक्तियों की सही पहचान की।अतः,हमें सत्र न्यायालय द्वारा अभिलिखित उन निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिलती कि वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) के पास उक्त अपीलार्थियों को पहचानने का पर्याप्त अवसर था, जिन्हें उसने शनाख्त परेड परीक्षाओं और विचारण के दौरान पहचाना, तथा उसकी कटघरे –पहचान को पहचान परेड कार्यवाहियों द्वारा पूर्णतः संपुष्ट किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उक्त अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी और जब्ती संदेहास्पद है।

(9) उप-निरीक्षक, एस.पी. सिंह (अ.सा.क्र-35) अन्वेषण अधिकारी हैं। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थीगण के उक्त प्रकटीकरण कथन दर्ज किए थे, जिन्होंने विभिन्न वस्तुओं के संबंध में जानकारी दी थी और उन वस्तुओं को अपीलार्थीगण की निशानदेही पर जब्त किया गया था। तुलसीराम (अ.सा.क्र-18) पंचनामा और जब्ती के गवाहों में से एक है। मुख्य परीक्षा में, उसने अपीलार्थियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण कथनों और उसके आधार पर की गई जब्ती के बारे में अभिसाक्ष्य दिया। लेकिन, उसने प्रति-परीक्षा में स्वीकार किया कि समस्त कार्यवाही कोनी पुलिस थाने में तैयार की गई थी और सभी वस्तुएं पुलिस थाने में रखी गई थी और वे वस्तुएं उन्हें पुलिस थाने में दिखाई गई थीं। इसी साक्ष्य के आधार पर यह तर्क दिया गया कि बरामदगी और जब्ती संदेहास्पद हो जाती है। यद्यपि तुलसीराम (अ.सा.क्र -18) ने प्रति परीक्षण में उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया है, लेकिन इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि संबंधित अपीलार्थीगण के कब्जे से हुई बरामदगी और जब्ती संदेहास्पद हो जाती है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

(10) <u>मोदन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1978 एससी 1511</u> के मामले में, जब्ती का अनुप्रामणन करने वाला साक्षी ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि सामग्री की बरामदगी करने वाले विवेचना अधिकारी का साक्ष्य विश्वसनीय है, तो बरामदगी के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज करने की आवश्यकता नहीं है कि जब्ती के साक्षी ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं करते हैं।

(11) यह सुस्थापित है कि यदि विवेचना अधिकारी का साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है और प्रति परीक्षण में उसके साक्ष्य को खंडित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया है या उसका साक्ष्य अन्यथा अविश्वसनीय नहीं है, तो दांडिक न्यायालय केवल विवेचना अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने में न्यायसंगत होगा। (**कृपया देखें — लोपचंद नरूजी जाट और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2004) 7 SCC 566**)। सामान्यतः उन मामलों में जहां किसी तथ्य के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूरी तरह से पुलिस के साक्षियों पर निर्भर होता है, न्यायालय सावधानी के तौर पर पुष्टि की तलाश करती हैं, न कि नियम के रूप में। अतः, यह केवल विवेक का नियम है, जो पुलिस के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। परन्तु जिन मामलों में न्यायालय संतुष्ट है कि पुलिस का साक्ष्य स्वतंत्र रूप से विश्वसनीय हो सकता है, ऐसी स्थितियों में विधि में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि स्वतंत्र पुष्टि के बिना इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता (**कृपया देखें — प्रवीण कुमार बनाम कर्नाटक राज्य; (2003) 12 SCC 199**)।

(12) हमने उप-निरीक्षक, एस.पी. सिंह (अ.सा.क्र-35) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। उन्होंने अपने साक्ष्य में संबंधित अपीलार्थीगण की निशानदेही पर लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी और जब्ती को साबित किया है। बरामदगी और जब्ती के संबंध में उनके प्रति-परीक्षण में ऐसी कोई विपरीत बात सामने नहीं आई जिससे उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जाए। हमें उनके साक्ष्य में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जिससे उन्हें लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी और जब्ती के उद्देश्य हेतु अविश्वसनीय ठहराया जा सके। इसके अतिरिक्त, अभियोजन का मामला केवल बरामदगी और जब्ती पर ही आधारित नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र-8) द्वारा डकैतों की पहचान पर आधारित है, जिन्होंने न्यायालय में और पहचान परेड कार्यवाही में भी उनकी विधिवत पहचान की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) यह भी तर्क दिया गया था कि वस्तुओं की पहचान भी संदेहास्पद है। हमें लूटी गई वस्तुओं की पहचान को अस्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता है। पहचान ज्ञापन प्रदर्श-पी/42 है। पहचान की कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जे.पी. जाटव (अ.सा.क्र -36) द्वारा संचालित की गई थी। वस्तुओं की पहचान वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र -8) द्वारा की गई थी। पहचान के लिए रखी गई वस्तुओं के साथ उसी प्रकार की कई अन्य वस्तुएं मिलाई गई थीं और वल्लभ सिंह (अभियोजन साक्षी-8) ने अपनी वस्तुओं को सही ढंग से पहचाना। अतः, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उचित रूप से यह माना है कि अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से विभिन्न बरामदगी के दौरान जब्त की गई लूटी गई वस्तुओं की वल्लभ सिंह (अ.सा.क्र -8) द्वारा सही पहचान की गई थी।

(14) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात, हम चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा अभिलिखित निर्णय और निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, जिसके द्वारा यह धारित किया गया था कि अपीलार्थीगण जीवन (ए-3), साहेबदास उर्फ अश्वनी कुमार (ए-1), छोटे कुमार (ए-2) और व्यास नारायण उर्फ आनंद (ए-10) डकैती के अपराध के कारित किए जाने में सम्मिलित थे और भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अंतर्गत दंड के भागी थे।

(15) अब हम अपीलार्थी- गणेश (ए-12) के मामले पर विचार करेंगे।

(16) अपीलार्थी- गणेश (ए-12) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश्वर शर्मा ने यह तर्क दिया है कि इस अपीलार्थी का कोई भी प्रकटीकरण कथन नहीं है; उसके आधिपत्य से कोई जब्ती नहीं हुई है; इस अपीलार्थी को पहचान परेड कार्यवाही के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था; अतः, पश्चात्वर्ती विचारण में वल्लभ सिंह (आ.स.क्र.-1) द्वारा न्यायालय के समक्ष की गई पहचान पर आधारित उसकी दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

(17) **संपत तात्यादा शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 791 में,** माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि "पहचान परेड कार्यवाही का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत ग्राह्य है; यह अधिक से अधिक, एक सहायक साक्ष्य है। इसका उपयोग केवल उन साक्षियों द्वारा अभियुक्त की पहचान के संबंध में न्यायालय में दिए गए मूल साक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने उसे आपराधिक कृत्य के कर्ता के रूप में पहचाना है। पहचान परेड कार्यवाही के समय साक्षियों द्वारा पूर्व में की गई पहचान का अपने आप में कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। और न ही शिनाख्त परेड परीक्षा ही एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जिसे अपराध के अपराधी के रूप में अभियुक्त की पहचान के संबंध में साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(18) जॉर्ज बनाम केरल राज्य, AIR 1998 SC 1376 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय में अभियुक्त की पहचान, पहचान करने वाले व्यक्ति का सारभूत साक्ष्य है और पहचान परेड में उसकी पूर्व की पहचान उसी का सपुष्टि कारक साक्ष्य है। दूसरे शब्दों में, पहचान परेड में पूर्व पहचान के साक्ष्य के अभाव से न्यायालय में दी गई पहचान के साक्ष्य की ग्राह्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।"

(19) दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2001 SC 1188 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "पहचान परेड का उद्देश्य चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा पूर्व में की गई शिनाख्त के रूप में उनके साक्ष्य को सपुष्टि प्रदान करना है और साक्षी का सारभूत साक्ष्य वह साक्ष्य है जो न्यायालय में दिया गया है।"

(20) मुंशी सिंह गौतम (मृत) एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2005) 9 SCC 631 के पैरा-17 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "यह कहना सुस्थापित है कि सारभूत साक्ष्य वह है जो न्यायालय में पहचान के दौरान दिया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा विधि की स्थिति सुस्पष्ट है। वे तथ्य, जो अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत हैं। सामान्य नियम के रूप में, किसी साक्षी का सारभूत साक्ष्य वह कथन है जो न्यायालय में दिया जाता है। विचारण के दौरान पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य अपने स्वभाव से ही अन्तर्निहित रूप से कमजोर होता है। अतः, पूर्व पहचान परेड का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे सुदृढ़ करना है। तदनुसार, यह

विवेकपूर्ण नियम माना जाता है कि न्यायालय में उन साक्षियों के शपथबद्ध साक्ष्य की सामान्यतः सपुष्टि की जाए, जिनके लिए अभियुक्त अजनबी थे, पूर्व पहचान की कार्यवाहियों के रूप में। हालाँकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब न्यायालय किसी विशेष साक्षी से प्रभावित होता है, जिसके साक्ष्य पर वह बिना ऐसी या अन्य संपुष्टि के सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। पहचान परेड अन्वेषण के चरण से संबंधित होती है, और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अन्वेषण एजेंसी को इसे आयोजित करने के लिए बाध्य करता हो या अभियुक्त को शिनाख्त परेड की मांग करने का अधिकार प्रदान करता हो। वे सारवान साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होती हैं। पहचान परेड आयोजित करने में विफलता, न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बनाएगी। ऐसी पहचान को दिया जाने वाला महत्व तथ्यों के न्यायालय के लिए विचारणीय विषय होना चाहिए। उपयुक्त मामलों में, न्यायालय संपुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। (देखें- कांता प्रसाद बनाम दिल्ली प्रशासन, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 350; वैकुंटम चंद्रप्पा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1340; बुधसेन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1970) 2 एस.सी.सी. 128 एवं रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (1971) 2 एस.सी.सी. 715)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) अतः यह स्पष्ट है कि अपराध के अन्वेषण के दौरान आयोजित की जाने वाली पहचान परेड सारवान साक्ष्य का गठन नहीं करती है। इनका एक उद्देश्य अन्वेषण एजेंसी को इस आश्वासन के साथ सहायता करना है कि अपराध के अन्वेषण की प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पहचान परेड अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होती है और उनका अगला उद्देश्य चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की पूर्व शिनाख्त के रूप में संपुष्टि प्राप्त करना है। इसलिए, दोषसिद्धि केवल अन्वेषण के दौरान आयोजित शिनाख्त परेड के साक्ष्य के आधार पर आधारित नहीं हो सकती । असली और सारवान साक्ष्य अभियुक्त की पहचान तब प्रकट होता है जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त की पहचान करते हुए अपना कथन प्रस्तुत करते हैं।

(22) वर्तमान मामले में, गणेश (अ-12) फरार था। उसे दिनांक 10.05.2004 को गिरफ्तार किया गया था। अतः, उससे कोई बरामदगी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उसकी दोषसिद्धि पूर्णतः वल्लभ सिंह (आ.सा क्र-1) द्वारा कटघरे में की गई पहचान पर आधारित है। वल्लभ सिंह (आ.सा क्र.-1) ने अपने विचारण में इसी प्रकार का साक्ष्य दिया और अपनी कटघरे में की गई पहचान के लिए समान कारण प्रस्तुत किए। प्रतिपक्ष द्वारा वल्लभ सिंह (आ.सा क्र.-1) से विस्तृत प्रति-परीक्षा की गई है। ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं है जिसके आधार पर कटघरे में पहचान के उनके साक्ष्य को अपवर्जित किया जा सके। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 8 और 9 में वल्लभ सिंह (आ.सा क्र-1) के साक्ष्य पर विवेचना की है।वल्लभ सिंह (आ.सा क्र.-1) ने यह अभिकथन किया है कि खिड़की से कुछ प्रकाश आ रहा था जो किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए पर्याप्त था और उन्होंने उसी प्रकाश में अभियुक्त को पहचाना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अभिकथन किया कि अपीलार्थी-गणेश (ए-12) भी उन हमलावरों में से एक था जो उस घटना वाली रात को उनके घर में प्रविष्ट हुए थे और डकैती कारित की थी। हमने वल्लभ सिंह (आ.सा क्र-1) के संपूर्ण साक्ष्य का

अनुशीलन किया है, जो इस उत्तरवर्ती विचारण में अभिलिखित किया गया था और हम अपीलार्थी गणेश (अ-12) के संबंध में भी उनके साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हैं। विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उचित रूप से यह निर्णीत किया है कि वह भी वल्लभ सिंह (आ.सा क्र.-1) के घर में कारित की गई डकैती के सहभागियों में से एक था।

(23) अब हम अपीलार्थीगण को अधिरोपित दंडादेशों पर विचार करेंगे।

(24) अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्येक अपीलार्थी को आजीवन कारावास का कठोर दंडादेश प्रदान किया गया है।इसलिए जहाँ तक कारावास का दंडादेश देने का प्रश्न है, "*न्यायसंगत दंड का सिद्धांत*" को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जो उस आपराधिक दंडादेश का आधार है जो किसी दंड के लिए दिया जाना है। किसी अपराध को कारित करने के लिए दंड के रूप में वास्तव में क्या मिलना चाहिए, यही इसका अंतर्निहित सिद्धांत है। दंड अनुपातहीन रूप से अधिक नहीं होना चाहिए, यह "न्यायसंगत दंड" का ही एक उपसिद्धांत है जो उसी सिद्धांत द्वारा शासित होता है जो यह कहता है कि बिना दोषसिद्धि के दंड नहीं दिया जा सकता और इस सिद्धांत के पीछे का मूल तत्व अपराध और दंड के बीच का आनुपातिक संबंध है। हालाँकि, दंड की मात्रा का निर्धारण हमेशा उन सहायक कारकों पर निर्भर करेगा जो आगे प्रवृत्त विधि द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए वैधानिक दायित्वों के अधीन होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(25) वर्तमान मामले में आजीवन कारावास का पूर्ण दंडादेश अधिरोपित किया गया है। गंभीर डकैती के मामलों में भारी और निवारक दंडादेश दिए जाना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें डकैती दिन-दहाड़े कारित की गई थी। आग्नेयास्त्र द्वारा कोई हमला नहीं किया गया था। डकैती कारित करते समय उपयोग किए गए घातक हथियार आग्नेयास्त्र नहीं थे। मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में हमारा यह मत है कि अपीलार्थीगण को अधिरोपित दंडादेश संशोधित किए जाने योग्य हैं, क्योंकि यह मामला अपीलार्थीगण को पूर्ण दंडादेश (आजीवन कारावास) देने की अपेक्षा नहीं करता है।

(26) हम आगे यह भी नोट करते हैं कि अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 एवं 397 के अंतर्गत पृथक दंडादेश अधिरोपित किए गए हैं। धारा 395 के अंतर्गत अपीलार्थीगण को आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है तथा धारा 397 के अंतर्गत प्रत्येक अपीलार्थी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास अधिरोपित किया गया है।

(27) भारतीय दंड संहिता की धारा 397 किसी पृथक अपराध का सृजन नहीं करती है। इसे मूल अपराध अर्थात 'लूट' या 'डकैती' के साथ पढ़ा जाना चाहिए।लूट हेतु दंड धारा 392 में दिया गया है और धारा 395 में डकैती के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। किसी अभियुक्त को केवल धारा 397 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह केवल 'लूट' और 'डकैती' के उन मामलों में 7 वर्ष का न्यूनतम कारावास प्रदान करने वाली एक सक्षमकारी धारा है, जहाँ अपराधी घातक आयुध का उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है।

(28) अतः वर्तमान मामले जैसा इस प्रकरण में, अपीलार्थियों को धारा 397 की सहायता से धारा 395 के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता था, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत पृथक रूप से। अतः, अपीलार्थियों को धारा 397 के अंतर्गत दिए गए पृथक दंड को अपास्त किये जाने योग्य है।

(29) पूर्वोक्त कारणों से, अपीलें अंशतः स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थीगण को धारा 395 और धारा 397 के अंतर्गत अलग-अलग दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। इसके स्थान पर, अपीलार्थीगण को **धारा** 395 सहपठित धारा 397 (395/397) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदंड, और अर्थदंड के व्यतिक्रम की स्थिति में 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया जाता है। अपीलार्थी— साहेबदास उर्फ अश्वनी कुमार (ए-1) को आयुध अधिनियम के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि और दंडादेश यथावत रखे जाते हैं। सजाओं को साथ-साथ चलाने का निर्देश साहेबदास उर्फ अश्वनी कुमार (ए-1) पर लागू होगा।

सही /- सही /-

सुनील कुमार सिन्हा **आर.एस . शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : Kokila Rakesh Sharma